

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 31/2021 (2021/62)

अपीलार्थीगण :-

1. रमेश पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
2. रविन्द्र पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
3. विक्रम पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
4. कैलाश पुत्र स्व0 गोपाल सिंह
सभी जातियान् माली, निवासीगण – बड़ले वाला बेरा, फूलबाग के पास, मण्डोर, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :-

1. हेम सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह
3. स्व0 नरपत सिंह पुत्र स्व0 गणपत सिंह के कायम मुकाम
3/1. श्रीमती ललिता पत्नी स्व0 नरपत सिंह देवड़ा
3/2. निहाल देवड़ा पुत्र स्व0 नरपत सिंह देवड़ा
3/3. नवदीप देवड़ा पुत्र स्व0 नरपत सिंह देवड़ा
4. श्रीमती अरूणा पत्नी स्व0 मुरलीधर देवड़ा पुत्र गणपतसिंह देवड़ा।
5. श्रीमती ज्योति पुत्री स्व0 मुरलीधर देवड़ा पुत्र गणपतसिंह देवड़ा।
6. श्रीमती किरण पुत्री स्व0 मुरलीधर देवड़ा पुत्र गणपतसिंह देवड़ा।
7. श्रीमती सरोज पत्नी स्व0 अर्जुनसिंह देवड़ा
8. श्रीमती दुर्गेश पुत्री स्व0 अर्जुनसिंह देवड़ा पुत्र गणपतसिंह देवड़ा
9. श्रीमती सुप्रिया पुत्री स्व0 अर्जुनसिंह देवड़ा पुत्र गणपतसिंह देवड़ा
10. सुर्यप्रकाश पुत्र स्व0 अर्जुनसिंह देवड़ा पुत्र गणपतसिंह देवड़ा
11. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व0 अर्जुनसिंह देवड़ा पुत्र गणपतसिंह देवड़ा
जातियान माली, निवासीगण गोपी का बेरा, मण्डोर, जोधपुर।
12. श्रीमती दमयन्ती पत्नी स्व0 प्रेमसिंह गहलोत, निवासी पण्डो का बास, मंगरा पूंजला, मण्डोर, जोधपुर।
13. श्रीमती समोश पत्नी छंवरलाल गहलोत पुत्री बोडीयाली मगरा पूंजला, जोधपुर।
14. श्रीमती गीता पत्नी छंवरलाल परिहार, निवासी मियाला बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर।
15. श्रीमती कैलाश पत्नी राजेन्द्रसिंह निवासी गणगौर वैगला वाली गली, बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2151 दिनांक 28.12.2020 ग्राम मण्डोर द्वितीय जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।



उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रसिंह शेखावत (अपीलार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (प्रत्यर्थी संख्या 01 ता 03 तथा 10)।
3. प्रत्यर्थी संख्या 4 ता 9 तथा 11 ता 15 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

—: आदेश :- दिनांक :- 06.04.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2151 दिनांक 28.12.2020 ग्राम मण्डोर द्वितीय जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरुद्ध पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 तथा 10 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 तथा 10 के अधिवक्ता की बहस दिनांक 22.03.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्रसिंह शेखावत ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि खसरा संख्या 412 कुल रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि ग्राम मण्डोर द्वितीय पटवार क्षेत्र मण्डोर द्वितीय, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर में आई है। उक्त भूमि पूर्व में खीवराज, गंगाराम पिसरान् रामा, नाथी बेवा, रामलाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि की सहखातेदार नाथी का कोई जायन्दा वारिस नहीं होने के कारण उनके स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि में खीवराज तथा गंगाराम प्रत्येक का 1/2-1/2 हिस्सा निहित हो गया। गंगाराम की एकमात्र संतान शांतिदेवी थी। इस कारण गंगाराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाई खीवराज के पुत्र गोपालसिंह को गोद ले लिया। अपीलार्थीगण के दादा खीवराज एवं पिता गोपालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरे की भूमि अपीलार्थीगण के दादा खीवराज एवं उनके भाई गंगाराम तथा नाथी के नाम से दर्ज चल आ रही है।

शांतिदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.05.2005 को जरिये सहमति पत्र के अपनी पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 1732 में से रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा

भूमि प्राप्त कर शेष भूमियों में अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलार्थीगण के पक्ष में त्याग दिया। इस कारण खसरा संख्या 412 में शांतिदेवी का किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा निहित नहीं था उसके बावजूद भी गंगाराम पिता रामा के फौत होने पर उनके स्थान पर केवल शांति देवी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर दिया, जबकि गंगाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में गोपालसिंह को गोद ले लिया था, इसके बावजूद भी उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया गया जो विधि विरुद्ध होने के कारण काबिले खारिज योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा न तो गंगाराम के समस्त वारिसान् की जांच की गई, न ही मौके एवं कब्जा काश्त की किसी प्रकार की जांच की गई। बिना जांच किए और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण ने निरन्तर बहस में बतलाया कि शांतिदेवी के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 17.05.2005 को एक सहमति पत्र अपीलार्थीगण के पक्ष में इस आशय का निष्पादित किया कि “ गंगाराम जी उनके पिता थे तथा गंगाराम के बड़े भाई खींवराज थे। गंगाराम ने खींवराज के पुत्र गोपालसिंह को विधिवत् गोद ले लिया था। इस प्रकार गंगाराम के दो वारिसान् शांतिदेवी एवं गोपालसिंह हुए। तत्पश्चात् शांतिदेवी ने अपने सहमति पत्र में यह भी सहमति दी कि गंगाराम के स्वामित्व की कृषि भूमि में से खसरा संख्या 1732 में से रकबा 01 बीघा 05 बिस्वां भूमि ही प्राप्त करेगी, शेष भूमियों पर गोपालसिंह के वारिसान् यानि अपीलार्थीगण का ही मालिकाना हक एवं स्वामित्व रहेगा। उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी शांतिदेवी के वारिसान् ने खसरा संख्या 412 में गंगाराम के हक हिस्से की भूमि शांति देवी के नाम जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण के दर्ज करवा ली, जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 तथा 10 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने बहस में बतलाया कि अपीलाटस ने अपील मीमो के साथ भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अपीलाधीन नामांतरणकरण दिनांक 28.12.2020 को मंजूर किया गया है एवं अपीलाटस ने उक्त अपील दिनांक 18.08.2021 को न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत

की है। इस प्रकार अपीलांट्स ने उक्त अपील विवादित नामांतरणकरण के स्वीकृत होने के करीब 08 माह बाद प्रस्तुत की है जबकि विधिनुसार नामांतरणकरण की प्रथम अपील के लिए 30 दिवस की म्याद निर्धारित हो रखी है। इन परिस्थितियों में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील प्रथमतः ही भारतीय म्याद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मियाद बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्था संख्या 1 से 3 तथा 10 ने गुणावगुण बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील की मेरिट को यदि देखा जावे तो अपीलांट्स ने खसरा संख्या 412 कुल रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि, ग्राम मण्डोर द्वितीय, पटवार क्षेत्र मण्डोर द्वितीय, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर की भूमि को खीवराज गंगाराम पुत्रान रामा, नाथी बेवा रामलाल के नाम से दर्ज होने का कथन किया है एवं नाथी के बिना संतान के फौत हो जाने पर खीवराज व गंगाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज होने का कथन किया है। हस्तगत प्रकरण में खीवराज फौत हो जाने पर उसका पुत्र भंवरलाल एवं भंवरलाल के फौत हो जाने पर अपीलांट्स का वंशवृक्ष होना जाहिर किया है एवं रामा के दूसरे पुत्र गंगाराम के फौत हो जाने पर गोपालसिंह को उसका गोदपुत्र तथा शांतिदेवी को जाइन्दा पुत्री बताया है। तथाकथित गोदपुत्र गोपालसिंह के देहान्त होने पर अपीलार्थीगण को उनका उत्तराधिकारी होना जाहिर किया है एवं इसी क्रम में अपने अपील के कथनों में सहखातेदार नाथी का कोई जाइन्दा वारिस ना होने के कारण नाथी का स्वर्गवास हो जाने के बाद विवादित खसरे की भूमि में खीवराज एवं गंगाराम का 1/2 – 1/2 हिस्सा होना जाहिर किया है और यह स्वीकार किया है कि गंगाराम जी के कोई पुत्र संतान नहीं हुई, केवल एकमात्र शांतिदेवी का जन्म हुआ, इस कारण गंगाराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाई खीवराज के पुत्र गोपालसिंह को गोद लिया जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि स्वर्गीय गंगाराम जी द्वारा अपने जीवनकाल में ना तो गोपालसिंह को अथवा ना ही किसी अन्य व्यक्ति को गोद ही लिया गया एव ना ही उसे अपने कोई हक अधिकार दिए। यहां यह स्वीकृत स्थिति है कि गंगाराम जी के एक पुत्री शांतिदेवी का जन्म हुआ था। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार श्रीमती शांतिदेवी स्व. गंगाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक उत्तराधिकारिणी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि स्व. गंगाराम द्वारा

गोपालसिंह को गोद लिए जाने का कोई भी गोदनामे का दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं हो रखा है। विधि अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामे के अभाव में गोदनामे को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं दी जा सकती। हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत रूप से श्रीमती शांतिदेवी स्व. गंगारामजी की एकमात्र उत्तराधिकारी थी, जिसके नाम से गंगाराम जी की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामांतरणकरण स्वीकृत किया गया एवं इस फौतेदगी नामांतरणकरण के जरिए विधिक अधिकार उत्पन्न हुए तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही शांतिदेवी के देहान्त के पश्चात उसकी संतानों के कानूनी हक अधिकार उत्पन्न होते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स ने केवल मात्र श्रीमती शांतिदेवी के महिला होने का नाजायज फायदा उठाने के उद्देश्य से गोपालसिंह को स्व. गंगाराम जी का गोदपुत्र बताने का प्रयास किया है जबकि वास्तव में स्व. गंगाराम जी द्वारा कभी भी गोपालसिंह को गोद लिया ही नहीं गया है। यदि गोपालसिंह को गोद लिया जाता तो निश्चित रूप से गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया जाता एवं अंतिम क्रियाकर्म की प्रक्रिया हरिद्वार में किए जाने के दौरान हरिद्वार के पण्डित के रिकॉर्ड में स्व. गोपालसिंह को स्व. गंगाराम का गोदपुत्र दर्शाया जाता, परन्तु अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट्स ने अपनी अपील में दिनांक 17.05.2005 को जरिए सहमति पत्र के शांतिदेवी के द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रेस्पोजेण्ट संख्या 04 से 08 के हक में त्याग करते हुए खसरा संख्या 1732 में से 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्राप्त करने का कथन किया है जो पूर्ण रूप से गलत एवं मनगढ़ंत है। श्रीमती शांतिदेवी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हकतर्कनामा अपीलार्थीगण के हक में निष्पादित नहीं किया गया है, यदि श्रीमती शांतिदेवी के द्वारा अपना हक अपीलार्थीगण के हक में त्याग किया जाता तो निश्चित रूप से ऐसे दस्तावेज यानि हकतर्कनामे का पंजीयन करवाया जाता लेकिन अपीलांट्स ने केवल एक सहमति पत्र का उल्लेख किया है, जिस सहमति पत्र पर शांतिदेवी के जो अंगुष्ठ निशान बताए गए हैं वे अंगुष्ठ निशान श्रीमती शांतिदेवी के अविवादित अंगुष्ठ निशानों से किसी भी सूरत में मेल नहीं खाते हैं जिसकी पुष्टि Hand Writing and Fingure Print Expert के द्वारा भी की गई है। इस रिपोर्ट में सहमति पत्र पर बताए गए शांतिदेवी के तथाकथित अंगुष्ठ निशानों को अविवादित निशानों से मेल नहीं होना पाते हुए सहमति पत्र पर किए हुए अंगुष्ठ निशानों को फर्जी होना जाहिर किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट्स वास्तव में अपने चाचा स्व. गंगाराम के पुत्र

संतान नहीं होने एवं केवल मात्र पुत्री संतान ही होने का नाजायज फायदा उठाते हुए स्व. गंगाराम जी के हक हिस्से की भूमि को हड़प कर जाना चाहते हैं जिसकी विधिनुसार कतई अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रत्यर्था संख्या 1 से 3 तथा 10 ने बहस में आगे बतलाया कि स्वीकृत रूप से यदि अपीलांट्स विवादित भूमि में अपना कोई कानूनी हक अधिकार मानते भी हैं तथा स्व. गोपालसिंह को स्व. गंगाराम का गोदपुत्र होना मानते भी हैं तो इस विवाद का निस्तारण घोषणा के वाद के जरिए ही किया जा सकता है परन्तु अपीलांट्स ने हस्तगत प्रकरण में हस्तगत नामांतरणकरण अपील के जरिए अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाए जाने का प्रयास किया है जो किसी भी स्थिति में विधिनुसार माने जाने योग्य नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपनी इस अपील के माध्यम से इस न्यायालय से यह घोषित करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्व. गंगाराम जी के गोदपुत्र स्व. गोपालसिंह थे जबकि कोई व्यक्ति किसी का गोदपुत्र है या नहीं यह तथ्य केवल दिवानी न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है अथवा घोषणा की प्रार्थना के माध्यम से ही तय किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील के माध्यम से बिना किसी दस्तावेजी सबूतों एवं बिना किसी सक्षम दिवानी न्यायालय की डिक्री के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि स्व. गंगाराम के स्व. गोपालसिंह गोदपुत्र थे जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में यह स्पष्ट दिशानिर्देश दिया है कि गोदपुत्र का विवाद तहसीलदार द्वारा तय नहीं किया जा सकता, इस विवाद को सक्षम दिवानी न्यायालय के द्वारा ही तय किया जा सकता है जो निर्णय 2012 RRT 2012(2) PAGE 1412 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अभिनिर्धारित किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट्स की अपील ना तो भारतीय म्याद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्दर म्याद है एवं ना ही उक्त अपील माननीय राजस्व मण्डल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में पारित किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप ही है। अपीलांट्स ने अपनी चचेरी बहन शांतिदेवी का विवाह हो जाने के कारण उसका अपने पिता गंगाराम की संपत्ति में बनने वाले कानूनी हक अधिकार को हड़प करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन किसी भी सूरत में पोषणीय नहीं है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह भलीभांति स्पष्ट

है कि अपीलांट्स के पक्ष में विवादित आराजी के कोई खातेदारी अधिकार होने की न तो घोषणात्मक डिक्री है ना ही स्व. गोपालसिंह का स्व. गंगाराम का गोदपुत्र होने के संबंध में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज ही है और ना ही कोई सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की गई कोई डिक्री ही है। बहस के अन्त में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीपक्ष/प्रार्थीपक्ष ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश नहीं किया जबकि प्रत्यर्थी ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम की बहस में बताया कि अपीलाधीन नामांतरणकरण दिनांक 28.12.2020 को मंजूर किया गया है एवं अपीलांट्स ने उक्त अपील दिनांक 18.08.2021 को न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की है। इस प्रकार अपीलांट्स ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र के बिना उक्त अपील अपीलाधीन नामांतरणकरण के स्वीकृत होने के करीब 08 माह बाद प्रस्तुत की है जबकि विधिनुसार नामांतरणकरण की प्रथम अपील के लिए 30 दिवस की म्याद निर्धारित हो रखी है। इन परिस्थितियों में अपीलांट्स की अपील भारतीय म्याद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मियाद बाहर होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन है कि ग्राम मण्डोर के खेत खसरा नं0 412 रकबा 10.01 बीघा भूमि पूर्व में खींवराज, गंगाराम पिसरान् रामा, नाथी पत्नी रामलाल के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी तथा सहखातेदार नाथी के कोई जायन्दा वारिसान् नहीं होने पर उनके स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि का 1/2 – 1/2 हिस्सा खींवराज व गंगाराम में निहित हो गया। अपीलार्थीपक्ष का यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण के पिता गोपालसिंह अपने जीवनकाल में गंगाराम पुत्र रामा के गोद चले गये इस बाबत् अपीलार्थीपक्ष द्वारा कोई गोदनामा के दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अपीलार्थीपक्ष की यह स्वीकारोक्ति भी है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण शांतिदेवी पत्नी गणपतसिंह के नाम स्वीकृत किया जो शांतिदेवी स्व0 गंगाराम की जायन्दा पुत्री है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी RRT 2012(2) PAGE 1412 में अभिनिर्धारित किया है कि राजस्व न्यायालय एक व्यक्ति को गोदपुत्र घोषित नहीं कर सकता। चूँकि अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से किसी पक्षकार के स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः अपील में अपीलार्थीगण के पूर्व पुरुष गोपालसिंह को स्व0

गंगाराम का गोदपुत्र घोषित नहीं किया जा सकता है। गोदपुत्र होने का रजिस्टर्ड दस्तावेज या सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री की हुई हो इस अपील में अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

अपीलार्थीपक्ष के कथनानुसार शांतिदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.05.2005 को जरिये सहमति पत्र के द्वारा पुश्तैनी भूमि खसरा नं0 1732 में से रकबा 01.05 बीघा भूमि प्राप्त कर शेष भूमि में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपीलार्थीगण के पक्ष में त्याग कर दिया। रेस्पोंडेंट पक्ष के कथनानुसार उक्त सहमति पत्र से प्राप्त विवादग्रस्त भूमि बाबत माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण विचाराधीन है। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के रूप में स्वीकृत किया गया तथ नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी के अधिकार तय नहीं होते हैं। अपीलार्थीपक्ष के अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि में हित प्रभावित होते हैं या स्वत्व निर्धारण करवाना चाहते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर तय करवाना आवश्यक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व0 गंगाराम की एकमात्र जायन्दा पुत्री शांतिदेवी होने से स्वीकृत किया गया, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीपक्ष मियाद बाहर व सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख पुनः प्रेषित हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 06.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।